सं०सं०–1/मे०कॉ०बे०–01/2012–.....43.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण बेतिया।

पटना, दिनांक:– 21/12/2012

विषय:–राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को एम०सी०आई० से मान्यता प्रदान कराने हेतु विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु विपत्र कोड एन 2210051050023 के विषय शीर्ष 52 01 मशीन एवं उपस्कर मद में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रू० 2,99,00,000/- (दो करोड़ निन्यानबे लाख रुपये) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 359/गो० मुख्य, दिनांक 24.11.2012 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को एम०सी०आई० से मान्यता प्रदान कराने हेतु विभिन्न आवश्यक सुविधाओं, यथा–छात्रों के लिए लेबोरेट्री का सृजन तथा रसायन उपस्कर की व्यवस्था, पुस्तकालय में किताब तथा बैठने की व्यवस्था, व्याख्यान कक्ष में दृश्य एवं श्रव्य उपकरण की व्यवस्था, शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाफों के बैठने की व्यवस्था एवं विभिन्न फैकल्टी के टीचिंग एड की व्यवस्था हेतु राशि का आवंटन उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया में उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रू० 2,99,00,000/– (दो करोड़ निन्यानबे लाख रुपये) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
52 01 मशीन एवं उपस्कर	3,00,00,000	1,00,000	2,99,00,000	3,00,00,000	0

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2356/ वि०(2), दि०–12.04.06, 2398/वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0023–राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया, मॉंग संख्या–20 विपत्र कोड– एन 2210051050023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। समय–समय पर वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

6. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में तथा निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से की जाएगी।

क्रमशः

8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः-1/मे०कॉ०बे०-01/2012-.....43...(1)ब० /स्वा०, पटना, दिनांक-21/12/2012

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/ जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।